09/5/22 पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ, मुण्डावर द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का प्रस्ताव दिया है। पत्रावली वास्ते आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/5/22 को पेश हो।

23/5/22 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये। पटवारी हल्का उप० आये। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] को निर्णित किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी का निवेदन रहा कि खा० नं० 650, 652 वाके ग्राम कल्लूवास तहसील मुण्डावर की आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी आराजी है जो विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु [illegible] आवेदन किये जाने पर [illegible] 07/12/[illegible] सीमाज्ञान [illegible] अधिकारी अलवर के आदेश क्रमांक 83637 दिनांक 13/12/21 की पालना में भू-प्रबन्ध विभाग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:30:13 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निरीक्षक एवं राजस्व टीम मय भू.अ. निरीक्षक, हल्का पटवारी निहित संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 13/4/21 को पटवारी द्वारा प्राप्त रिकार्ड प्रमाणित नक्शे से मौका मुआयना किया गया व ई.टी.एस. मशीन द्वारा मौका सर्वेक्षण कार्य किया जाकर दिनांक 20/4/21 को सीमाज्ञान मार्क अस्थाई लगाये गये व जिनका मिटने का अन्देशा है अंकित करते हुए पत्रावली में प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20/4/21 हल्का पटवारी बल्लूवास के आधार पर पत्थर गढ़ी करवाये जाने का निवेदन है। वकील प्रार्थी को सुना गया एवं वकील अप्रार्थी/ पैरोकार सरकार को भी सुना गया जिसने मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट करवाये जाने पत्थर गढ़ी सहमति व्यक्त की। वकील फरीकैन की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा सीमाज्ञान रिपोर्ट मय नक्शा, जमाबन्दियात का गहनता से अवलोकन किये जाने उपरान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आ० खि० नं० 650, 652 वाके ग्राम बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के प्रस्तुत करवाये जाने पत्थर गढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है एवं मुताबिक मौका पर्चा रिपोर्ट/ सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20/4/21 मय नक्शा के पत्थर गढ़ी करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिसहेतु तहसीलदार [illegible] अहकाम जारी हो। पत्रावली के सल [illegible] कार्यवाही बाद तकमील जमा जिला [illegible] तामील प्राप्ती पालना रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर से शामिल पत्रावली हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:30:13 IST
Reason: SelfAttested